निरंजन प्रसाद सिन्हा और एक अन्य

बनाम

भारत संघ व अन्य

9 मई, 2001

[जी. बी. पटनायक और एस. एन. फुकान, न्यायाधिपतिगण]

<u>सेवा कानूनः</u>

रेलवे बोर्ड सर्कुलर दिनांक 25.6.1985 - खंड 5.1 - पदोन्नति - कर्मचारी की पदोन्नति बकाया, बिना किसी लिखित या मौखिक परीक्षा के पदोन्नति के लिए पात्र - अपीलकर्ताओं को बिना किसी लिखित परीक्षा के सेवा रिकॉर्ड की जांच पर फायरमैन ग्रेड ए में पदोन्नत किया गया - लिखित परीक्षा बाद में आयोजित की गई, पदोन्नति होने वालो ने परीक्षा में अर्हता प्राप्त की और उन्हें फायरमैन ग्रेड ए के रूप में भी पदोन्नत किया गया, विवादित वरिष्ठता सूची मे ऐसे पदोन्नति होने वाले लोगोको अपीलकर्ताओ से उपर रखा गया था - न्यायाधिकरण ने वरिष्ठता सूची को यथावत रखा - अपील पर, अभिनिर्धारित, बोर्ड ने बिना किसी परीक्षण के रिकार्ड की जांच के आधार पर पदोन्नति के लिये कर्मचारियो को पदोन्नति देने का सकारात्मक निर्णय लिया - अपीलार्थियों की पदोन्नति कानूनी और उचित थी क्योंकि यह परिपत्र के अनुसार थी -विवादित वरिष्ठता सूची को रद्द कर दिया गया क्योंकि अपीलार्थी पदोन्नति पाने वालों से वरिष्ठ थे।

वरिष्ठता किसी विशेष श्रेणी में वरिष्ठता का निर्धारण उस श्रेणी में निरंतर सेवाकी अवधि के आधारपर किया जाना चाहिये - परिपत्र के अनुसार अपीलार्थी पदोन्नति पाने वालों से वरिष्ठ थे - यह दिखाने के लिए कोई नियम नहीं रखा गया है कि पदोन्नति के लिए लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को अपीलार्थी की तुलना में वरिष्ठता मिलेगी, अपीलार्थीगणो को पदोन्नति पाने वाले व्यक्तियो से उपर रखने की ताजा वरिष्ठता सूची तैयार की जानी।

अपीलार्थीगण फायरमैन ग्रेड सी के पद पर और उसे बाद ग्रेड बी में पदोन्नत किये गये थे। उन्हें रेलवे बोर्ड के परिपत्र दिनांक 25.6.1985 के खंड 5.1 के अनुसार आगे ग्रेड ए में पदोन्नत किया गया था, जिसने इस तरह की पदोन्नति के लिये किसी भी लिखित या मौखिक परीक्षा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया था। प्रतिवादीगण द्वारा एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई और अर्हता प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ग्रेड ए के पद पर नियुक्त किया गया। हालांकि, इन पदोन्नत लोगो को विवादित वरिष्ठता वरिष्ठता सूची में अपीलार्थियों की तुलना में उपर दिखाया गया था, जिसे न्यायाधिकरण ने यथावत रखा। इसलिये यह अपील है।

अपीलार्थियों ने तर्क दिया कि उन्हें कानूनी रूप से पदोन्नत किया गया था क्योंकि दिनांक 25/6/1985 के परिपत्र के खंड 5.1 ने उन्हे बिना किसी लिखित या मौखिकपरीक्षा के पदोन्नतिका अधिकार दिया था; और

कि बाद में चुने गए पदोन्नत लोगो को कभी भी उनसे उपर नहीं रखा जा सकता ।

प्रतिवादीगणो ने तर्क दिया कि पदोन्नत लोगों का चयन पिछले परिपत्र दिनांक 17/12/1982 के अनुसार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद किया गया था और अधिक कुशल पाये जाने पर उन्हें अपीलकर्ताओ से उपर रखा गया था।

अपील को स्वीकार करते हुये, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

1. परिपत्र दिनांक 25/6/1985 के खंड 5.1 के अनुसार, रेलवे बोर्ड ने एक सकारात्मक निर्णय लिया था कि जब एक कर्मचारी को उसके द्वारा धारित पद के ग्रेड से केवल एक ग्रेड उपर पदोन्नति दी जानी है, तो पदोन्नति केवल सेवा रिकॉर्ड की जांच के आधार पर होगी और बिना किसी परीक्षण के। [639-एफ]

2. फायरमैन ग्रेड ए, फायरमैन ग्रेड बी के पद से एक ग्रेड ऊपर है। इसलिए, परिपत्र के खंड 5.1 के अनुसार अपीलार्थी केवल अपनी सेवा रिकार्ड की जांच के बाद ग्रेड ए के पद पर पदोन्नत होने के अधिकारी थे और ऐसा प्रत्यर्थीगण द्वारा किया गया क्योंकि उन्होने उक्त परिपत्र के अनुसार उन्हें फायरमैन ग्रेड ए के पद पर पदोनन्ति किया था। अपीलार्थीगणो की पदोन्नति कानूनी और उचित थी। [639-जी]

3. किसी विशेष ग्रेड में वरिष्ठता उस ग्रेड में निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर निर्धारित की जानी है। अपीलकर्ताओ को कानूनी तौर पर ग्रेड ए में पदोन्नत किया गया, जबकि पदोन्नत लोगो को बाद में पदोन्नत किया गया था। एक स्वीकृत स्थिति है कि सभी अपीलकर्ता उनसे फायरमैन के पद की सभी ग्रेडो में वरिष्ठ थे। इसके अलावा, यह दिखाने के लिये कोई नियम नहीं बनाये गये कि लिखित परीक्षा के आधार पर पदोन्नत किये गये व्यक्तियो को उक्त परिपत्र के तहत पदोन्नत किये गये व्यक्तियो पर वरिष्ठता मिलेगी। विवादित वरिष्ठता सूची जहां अपीलकर्ताओ को पदोन्नत लोगो से कनिष्ठ दिखाया गया था, कानूनी स्थिति के विपरीत है और तदनुसार रदद कर दी गई। प्रतिवादीगण फायरमैन ग्रेड ए के पद पर अपीलकर्ताओ को पदोन्नत किये गये व्यक्तियो से उपर रखते हुये एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करेंगे। [640-ए-सी]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारी

सिविल अपील संख्या 10912/1996

(ओ. ए. सं. 502/1994 में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना के दिनांक 26/5/1995 के निर्णय एवं आदेश से ।)

पी एस मिश्रा, विष्णु शर्मा, संतोष मिश्रा, यू मिश्रा, एस बी उपाध्याय, और रामजीप्रसाद अपीलकर्ताओ के लिये।

के. सी. कौशिक, अरविंद कुमार शर्मा के लिए और डी. एस. मेहरा प्रतिवादीगणो के लिये।

न्यायालय का निर्णय फुकान, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था-

इस अपील में दोनों अपीलकर्ताओं ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना द्वारा पारित दिनांक 26.05.1995 के आदेश को चुनौती दी है। न्यायाधिकरण ने वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी (दानापुर प्रभाग) दानापुर, पटना द्वारा जारी वरिष्ठता सूची को रद्द करने के लिए अपीलकर्ताओं की प्रार्थना को खारिज कर दिया ।

प्रारंभ में अपीलकर्ताओं को पूर्वी रेलवे (दानापुर मंडल) दानापुर में सफाईकर्मी के रूप में नियुक्त किया गया था और उसके बाद उन्हें फायरमैन सी ग्रेड के पद पर पदोन्नत किया गया था। दिनांक 11/10/1985 को उन्हें फायरमैन ग्रेड बी के पद पर पदोन्नत किया गया था।

रेलवे प्रशासन ने फायरमैन के पदो का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया और तदनुसार दिनांक 25/6/1985 को रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र जारी किया और इस तरह के पुनर्गठन के परिणमस्वरूप अपीलकर्ता दिनांक 1/1/1986 से फायरमैन ग्रेड ए बन गये। यह पुनर्गठन वेतन पुनरीक्षण आयोग की रिपोर्ट की गली कडी के रूप में किया गया था। अपीलकर्ताओ को फायरमैन ग्रेड ए के रूप में तैनात किये जाने के बाद, प्रतिवादीगणो ने

अलग अलग तारीखो पर लिखित परीक्षा आयोजित की। उक्त परीक्षाओ के परिणामो के आधार पर दिनांक 6/8/1985 को 31 व्यक्तियो को ग्रेड बी से ग्रेड ए में पदोन्नत किया गया और उसके बाद 7/2/1986 और 8/7/1986 को 23 और 31 अन्य व्यक्तियो को पदोन्नत किया गया था। अपीलकर्ताओ ने आरोप लगाया है कि चूंकि उन्हे लिखित परीक्षा के बाद उपरोक्त व्यक्तियो की पदोन्नति से पहले फायरमैन ग्रेड ए के रूप में पदोन्नत किया गया था, इसलिये पदोन्नत लोगो को वरिष्ठता सूची मे अपीलकर्ताओ से वरिष्ठ नहीं दिया जा सकता था जैसा कि विवादित सूची में किया गया है। यह विवादित नहीं है कि सभी अपीलकर्ता सभी ग्रेडो में पदोन्नत किये गये लोगोसे वरिष्ठ थे और वास्तव में फायरमैन ग्रेड ए के लिये पिछली वरिष्ठता सूची में, अपीलकर्ताओ को उपरोक्त पदोन्नत किये गये लोगो से वरिष्ठ दिखाया गया था। हालांकि, इस वरिष्ठता सूची को विवादित वरिष्ठता सूची द्वारा बदल दिया गया था, जिसमें अपीलकर्ताओ को पदोन्नत लोगो से नीचे रखा गया था, जिसे न्यायाधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी। न्यायाधिकरण ने विवादित वरिष्ठता सूची को यथावत रखा। इसलिये, वर्तमान अपील है।

प्रतिवादी का पक्ष यह था कि उपरोक्त पदों के पुनर्गठन के लिए रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.06.1985 के परिपत्र द्वारा, केवल बोर्ड ने एक सामान्य निर्णय से अवगत कराया, लेकिन तेजी से तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं ने पदोन्नति के लिए अधिक कुशल

व्यक्तियों का पता लगाने के लिए रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.12.1982 के पहले के परिपत्र के आधार पर लिखित परीक्षा आयोजित की और जैसे ही पदोन्नत व्यक्ति लिखित परीक्षा के माध्यम से उत्तीण हुये, उन्हे अपीलकर्ताओ से वरिष्ठ रखा गया।

अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील श्री मिश्रा ने तर्क दिया कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 26.05.1985 के परिपत्र के खंड 5 को देखते हुए, क्योंकि अपीलकर्ताओं की पदोन्नति के लिए अगला उच्च पद फायरमैन ग्रेड ए था, वे केवल 'बिना किसी लिखित और/या वाइवा-वॉस टेस्ट के, केवल सेवा रिकॉर्ड' की जांच पर, उस ग्रेड में पदोन्नत होने के हकदार थे और इसलिए उनसे कानूनी रूप से आग्रह किया गया है कि जिन पदोन्नत किये गये लोगो को बाद में पदोन्नत किया गया था, हालांकि लिखित परीक्षा के माध्यम से चुना गया था, उन्हें वरिष्ठता में अपीलकर्ताओं से ऊपर नहीं रखा जा सकता था, श्री कौशिक, प्रतिवादी के विद्वान वकील ने आग्रह किया है कि चूंकि पदोन्नत किये गये लोगो का चयन रेलवे बोर्ड के दिनांक 17.12.1982 के परिपत्र के संदर्भ में लिखित परीक्षा के बाद किया गया था और उन्हें कुशल पाते हुये सही तौर पर अपीलार्थीगण से वरिष्ठ दिखाया गया था।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 25.06.1985 के परिपत्र का प्रासंगिक खंड 5.1 नीचे उद्धृत किया गया हैः

"5.1 - हालांकि, इन आदेशा के कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिये यदि कोई व्यक्तिगत रेलवे कर्मचारी उसके द्वारा धारित पद के ग्रेड से केवल एक ग्रेड उपर पदोन्नति के लिये पात्र हो जाता है, तो उसे 'चयन पद'के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, ऐसे मामले में मौजूदा चयन प्रक्रिया इस हद तक संशोधित हो जाएगी कि चयन केवल सेवा रिकॉर्ड की जांच पर आधारित होगा, बिना कोई लिखित और/या मौखिक परीक्षा आयोजित किये। इस प्रक्रिया के तहत, उत्क्रष्ट वर्गीकरण मौजूद नहीं होगा। (हमारे द्वारा जोर दिया गया।)"

हमने परिपत्र का अध्ययन किया है और खंड 5.1 की स्पष्ट भाषा को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादीगणो की ओर से सामने रखा गया तर्क टिकाउ नहीं है। उपरोक्त परिपत्र द्वारा, बोर्ड ने एक सकारात्मक निर्णय लिया है कि एक कर्मचारी को उसके द्वारा धारित पद के ग्रेड से केवल एक ग्रेड उपर पदोन्नतिदी जानी है, पदोन्नति केवल सेवा रिकॉर्डकी जांच के आधार पर होगी और बिना कोई परीक्षा आयोजित किये।

इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि फायरमैन ग्रेड ए, फायरमैन ग्रेड बी के पद से एक ग्रेड ऊपर है, इसलिए उपरोक्त खंड के संदर्भ में अपीलकर्ता केवल अपने सेवा रिकॉर्ड की जांच के बाद ग्रेड ए के पद पर पदोन्नत होने के हकदार थे और यह प्रतिवादीगणो द्वारा ऐसा किया गया

था क्योंकि उन्होने अपीलकर्ताओ को दिनांक 1/1/1986 को फायरमैन ग्रेड ए के पद पर पदोन्नत किया था, जिस तारीख को उपरोक्त परिपत्र के अनुसार पुनर्गठन किया गया था। इसलिये, हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं की पदोन्नति कानूनी और उचित थी।

यह सर्वमान्य है कि किसी नियम के अभाव मे किसी विशेष ग्रेड में वरिष्ठता का निर्धारण निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर की जानी है। अपीलार्थियों को कानूनी रूप से फायरमैन ग्रेड ए के पद पर पदोन्नत किया गया था, जबकि पदोन्नत किये गये लोगो को बाद में पदोन्नत किया गया था । यह एक स्वीकृत स्थिति है कि अपीलार्थीगण, फायरमैन के पदो की सभी ग्रेडो में पदोन्नत किये गये लोगो से वरिष्ठ थे। कोई भी नियम हमारे सामने दिखाने के लिए नहीं रखे गये है कि लिखित परीक्षा के आधार पर पदोन्नत व्यक्तियों को खंड 5.1. के तहत पदोन्नत किये गये व्यक्तियों से वरिष्ठता मिलेगी। हम, इसलिये यह अभिनिर्धारित करते है कि विवादित वरिष्ठता सूची, जिसमें अपीलकर्ताओं को पदोन्नति पाने वालों से कनिष्ठ दिखाया गया था, कानूनी स्थिति के विपरीत है, तदनुसार इसे रद्द किया जाता है।

हम वर्तमान अपील में गुणावगुण पाते हैं और प्रतिवादीगणो को एक नई वरिष्ठता सूची तैयार करने के निर्देश के साथ यह स्वीकार की जाती है, जिसमें अपीलार्थियों को फायरमैन ग्रेड ए के पद पर पदोन्नत किये गये लोगो से ऊपर रखा जाता है। संशोधित वरिष्ठता सूची 3 महीनो की अवधि

के भीतर प्रकाशित की जाएगी। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुये हम पक्षकारान को इस अपील का अपना अपना खर्चा वहन करने का निर्देश देते हैं।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u> - इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।